संख्याः397505/IV(2)-श0वि0–13(सा0)25/2026 (82259)

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

25/5/26

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक–29 मई, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में वाहय सहायति नवीन ऋण 'ऋषिकेश शहर के एकीकृत विकास, KFW परियोजना के अन्तर्गत डी0एस0सी0/अधिष्ठान व्ययों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी, देहरादून के पत्रांक– यू.यू.एस.डी.आई.ए./केएफडब्ल्यू/एफ.एन्ड.ए.–01/634, दिनांक 13.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित नवीन वाह्य सहायतित ऋण 'ऋषिकेश शहर के एकीकृत विकास, KFW परियोजना के अन्तर्गत डी0एस0सी0/अधिष्ठान व्ययों हेतु **कुल रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि **कुल रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से/ यथा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।

(3) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(4) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

(5) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/384289/9(150)2019/XXVII(1)/2026, दिनांक 01.04.2026 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि शारानादेश दिनांक 01.04.2026 के प्रस्तर–9(5) की व्यवस्था के अधीन रहते हुए नियमानुसार आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि की ए0डी0बी0 से यथाशीघ्र प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुए तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा वित्त विभाग के निर्देशानुसार SNA खाते की मैपिंग IFMS के साथ कर लिये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र परियोजना निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 से प्राप्त कर तदनुसार शीघ्रतिशीघ्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

File No. 050301-3ACC/C(1)/2/2026-Section 3-URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE-Part(1) (Computer No. 48628)
Generated from eOffice by Asha Jaggi, Assist Acct - Asha, ASSITANT ACCOUNTANT, URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE on 06/06/2026 12:17 pm

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31–03–2027 तक उपयोग सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–9705–ऋषिकेश शहर के एकीकृत विकास के लिए केएफडब्ल्यू परियोजना–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/384289/9(150)2019/XXVII(1)/2026, दिनांक 01.04.2026 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त। S26050/30038,

Digitally signed by Santosh Badoni
Date: 19-05-2026 18:42:15

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 21-05-2026 13:55:30

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

File No. 050301-3ACC/C(1)/2/2026-Section 3-URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE-Part(1) (Computer No. 48628)
Generated from eOffice by Asha Jaggi, Assist Acct - Asha, ASSITANT ACCOUNTANT, URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE on 06/06/2026 12:17 pm

IFMS Uttarakhand

Print Date:-22/May/2026 12:13 PM

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Manoj Chandra Misra
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 22-05-2026 12:13:20

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026-2027)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26050130038

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 22-MAY-2026

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकारणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता	**97**	बाह्य सहायतित योजना
05	ऋषिकेश शहर के एकीकृत विकास के लिए केएफडब्ल्यू परियोजना		

2	2	1	7	0	3	1	9	1	9	7	0	5

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (समान य गैर वेतन)	0	100000000	0	100000000
	योग	0	100000000	0	100000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 10,00,00,000 (Rupees Ten Crores Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2605:0014

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-26/May/2026 03:39 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष

(2026-2027)

Head of Department : Director Local Bodies (2877)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या - 1

आवंटन आई डी - H26050130030

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 26-MAY-2026

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकारणों एवं नगर सुधार बोर्डों को सहायता	**97**	बाह्य सहायतित योजना
05	ऋषिकेश शहर के एकीकृत विकास के लिए केएफडब्ल्यू परियोजना		

2	2	1	7	0	3	1	9	1	9	7	0	5

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (समान य गैर वेतन)	0	100000000	0	100000000
	योग	0	100000000	0	100000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 10,00,00,000 (Rupees Ten Crores Only)

Batch ID : DIS:2877:2877:2605:0002

Approval Status : OPERATOR-CREATION